

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21022026-270399
SG-DL-E-21022026-270399असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 473
No. 58]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947	[N. C. T. D. No. 473

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

फा. सं. 1/37/2024-न्यायिक/586-591.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना फा0सं0 1/2/70/डीएच (एस) के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों, दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना फा0सं0 1/2/70-डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित तथा इस संबंध में उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद् द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ —(1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

नियम 5ए को अन्तःस्थापित करना :

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में मौजूदा नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 5ए को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

नियम 5ए. चयन समिति :

भर्ती के उद्देश्य से सेवा के अंतर्गत नियम 7 के अनुसार, एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जायेगा :

(i) मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश; तथा

(ii) मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।

मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम न्यायाधीश चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

3. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में**नियम 7 का प्रतिस्थापन :**

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में मौजूदा नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 7 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

नियम 7. नियमित भर्ती :

(1) प्रवेश स्तर पर जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदों की भर्ती निम्नानुसार होगी:

- (क) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) में से योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के सिद्धांत पर 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा;
- (ख) सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत पदोन्नति, जिनके पास सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में तीन वर्ष की अर्हक सेवा है और सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा सात वर्ष होगी जिसमें सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में दी गई सेवा शामिल है;
- (ग) नियम 7सी के अनुसार पात्र व्यक्तियों में से लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सीधी भर्ती के माध्यम से 25 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

स्पष्टीकरण — सीमित प्रतियोगी परीक्षा कोटा के लिए रिक्तियों की गणना संवर्ग संख्या बल के आधार पर की जाएगी।

(2) इस नियम के अंतर्गत निर्धारित कोटा के भीतर, उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए पद उसी क्रम में आवंटित किए जाएंगे जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न रोस्टर में दिया गया है।

नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों और नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत अधिकारियों की भर्ती किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण हो जाने के बाद, उनके कोटे में आने वाले वे पद जो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण रिक्त रह जाते हैं, नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों के माध्यम से भरे जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे अधिकारियों को केवल वार्षिक रोस्टर में उत्तरवर्ती पदोन्नति पदों पर ही रखा जाए; और उत्तरवर्ती वर्ष की रिक्तियों की गणना इस प्रकार की जाएगी कि पूरे संवर्ग पर 50:25:25 का अनुपात लागू हो।

4. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में**नियम 7ए का प्रतिस्थापन :**

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा नियम 7ए के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 7ए को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

नियम 7ए. योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के लिए चयन :

(1) उपरोक्त नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। पदोन्नति के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, उच्च न्यायालय निम्नलिखित की जांच करेगा:

- (क) निर्णयों के विश्लेषण के आधार पर कानून का अद्यतन ज्ञान न्यायिक अधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्णित किए गए मामले (35 अंक)
- (ख) पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (25 अंक)
- (ग) पिछले पांच वर्षों में निपटान दर (10 अंक)
- (घ) मौखिक परीक्षा, जिसमें कानून के अद्यतन ज्ञान का परीक्षण होगा और साथ ही सामान्य धारणाओं और जागरूकता के साथ-साथ संप्रेषण कौशल पर भी विचार करें। (30 अंक)

- (2) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए, पिछले पाँच वर्षों की अधिकारियों की रिपोर्टों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंकों को वरियता दी जायेगी। प्रत्येक एसीआर के लिए अंक प्रदान करने का मानदंड निम्नानुसार होगा :

ग्रेडिंग	अंक
ए+	5
ए	4
बी+	3
बी	2

बशर्ते कि किसी भी वर्ष में 'सी' ग्रेडिंग और सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने वाला कोई भी अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा।

- (3) न्यायिक अधिकारियों के विचार क्षेत्र भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 जनवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 220011/2/2002-स्थापना (डी) के अनुसार होंगे, जो निम्न प्रकार हैं:

रिक्तियों की संख्या	विचारणीय क्षेत्र
1	5
2	8
3	10
4	12
5 और उससे अधिक	रिक्तियों की संख्या का दुगुना + 4

विचार क्षेत्र में आने के लिए, न्यायिक अधिकारियों के पास उस वर्ष से पहले वाले वर्ष के लिए बी+ ग्रेडिंग होनी चाहिए जिसमें पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है और पिछले चार वर्षों के दौरान कम से कम दो बी+ ग्रेडिंग होनी चाहिए।

- (4) सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को कुल अंकों में से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार को सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के योग्य होने के लिए न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने होंगे।

5. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970

में नियम 8 का प्रतिस्थापन :

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में मौजूदा नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

नियम 8. वरिष्ठता :

- (1) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नत दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता दिल्ली न्यायिक सेवा के समान होगी।
- (2) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता सीमित प्रतियोगी परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर होगी।
- (3) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत सेवा में सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो भर्ती के समय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थी।
- (4) नियम 7 के अन्तर्गत सेवा में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता वार्षिक 4-बिंदु रोस्टर के माध्यम से निर्धारित की जाएगी, जिसे उस विशेष वर्ष में नियुक्त सभी अधिकारियों द्वारा नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए 2 अधिकारियों, नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत एक अधिकारी और नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त एक अधिकारी के क्रमानुसार भरा जाएगा।
- (5) यदि भर्ती प्रक्रिया उस वर्ष के भीतर पूरी हो जाती है जिसके बाद इसे शुरू किया गया था और उत्तरवर्ती वर्ष के लिए शुरू की गई भर्ती के संबंध में तीनों स्रोतों में से किसी से भी कोई अन्य नियुक्ति पहले से नहीं हुई है, तो विलंबित रूप से नियुक्त अधिकारी उस वर्ष के रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता के हकदार होंगे जिसमें भर्ती शुरू की गई थी।

- (6) यदि किसी दिए गए वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया उसी वर्ष में प्रारंभ नहीं की जाती है, तो उत्तरवर्ती भर्ती में ऐसी रिक्ति भरने वाले उम्मीदवार को उस वर्ष की वार्षिक रोस्टर में वरिष्ठता दी जाएगी जिसमें भर्ती प्रक्रिया अंततः समाप्त होती है और नियुक्ति की जाती है।
- (7) नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों और नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत पदोन्नत अधिकारियों की भर्ती किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण हो जाने के बाद, उनके कोटे में आने वाले वे पद जो उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण रिक्त रह जाते हैं, नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों के माध्यम से भरे जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे अधिकारियों को वार्षिक रोस्टर में उत्तरवर्ती पदोन्नति पदों पर ही रखा जाए; और उत्तरवर्ती वर्ष की रिक्तियों की गणना इस प्रकार की जाएगी कि पूरे संवर्ग पर 50:25:25 का अनुपात लागू हो।

6. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में

नियम 9 का प्रतिस्थापन :

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 9 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

नियम 9. सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यताएं निम्नलिखित होंगी:

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) एक अधिवक्ता के मामले में, आवेदन की अंतिम तिथि तक लगातार कम से कम सात वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हो
- (3) न्यायिक अधिकारियों के मामले में
 - (i) अधीनस्थ न्यायिक सेवा में भर्ती होने से पूर्व विधिज्ञ (बार) में सात वर्ष पूरे कर लिए हों, या;
 - (ii) न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता के रूप में संयुक्त सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक।
- (4) यदि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा में रहा है या है, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक उसके पास अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी के रूप में सात वर्ष या उससे अधिक का संयुक्त अनुभव होना चाहिए।
- (5) आवेदन की अंतिम तिथि को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 45 वर्ष की आयु अधिक न हो

7. संलग्न रोस्टर का प्रतिस्थापन

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 :

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा रोस्टर (नियम 7(2) के अन्तर्गत) के स्थान पर, निम्नलिखित रोस्टर को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

रोस्टर

(नियम 7(2) और नियम 8(4) देखें)

निर्धारित कोटा के भीतर तीनों श्रेणियों के हिस्से में जाने वाले पदों के क्रम को दर्शाने वाला रोस्टर:

पदों के क्रम	श्रेणी	नियम
1.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
2.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
3.	सीमित प्रतियोगी परीक्षा से पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (ख)
4.	सीधी भर्ती	7 (1) (ग)
5.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
6.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
7.	सीमित प्रतियोगी परीक्षा से पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (ख)
8.	सीधी भर्ती	7 (1) (ग)

9.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
10.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
11.	सीमित प्रतियोगी परीक्षा से पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (ख)
12.	सीधी भर्ती	7 (1) (ग)
13.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
14.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
15.	सीमित प्रतियोगी परीक्षा से पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (ख)
16.	सीधी भर्ती	7 (1) (ग)
17.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
18.	योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (क)
19.	सीमित प्रतियोगी परीक्षा से पदोन्नत अधिकारी	7 (1) (ख)
20.	सीधी भर्ती	7 (1) (ग)
	और इसी प्रकार प्रत्येक 20 पदों के लिये	

8. संलग्न अनुसूची का संसोधन

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 :

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, मौजूदा अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

अनुसूची (नियम 4 देखें)

1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश	11
2	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई)	01
3	प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय	11
4	जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) सुपर टाइम स्केल में	64
5	अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय	01
6	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय	19
7	त्वरित न्यायालय	18
8	बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए विशेष न्यायालय	22
9	जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण/एमएसीटी/श्रम न्यायालय सहित)	284
10	विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस	03
11	प्रतिनियुक्ति और अवकाश आरक्षित	34
	कुल	468
	समय-मान पद	127
	चयन ग्रेड के पद:	

संवर्ग की कुल संख्या का @35प्रतिशत – 164* अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय – 01 पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश –19	184
सुपर समय-मान पद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश – 11 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह- विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई) – 01 प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय – 11 जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) – 64 संवर्ग की कुल संख्या का @15प्रतिशत – 70*	157

* चयन ग्रेड के पदों में 25% से 35% और सुपर समय-मान पदों में 10% से 15% की वृद्धि 01.01.2020 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION

Delhi, the 19th February, 2026

F. No. 1/37/2024-Judl./586-591.—*In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.1/2/70/DH(S), dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No. F.1/2/70-DH(S), dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970:*

1. Short title and commencement

- (1) *These rules may be called the Delhi Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2026.*
- (2) *They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.*

2. Insertion of Rule 5A in the Delhi

Higher Judicial Service Rules, 1970

:

In the existing Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, after existing Rule 5, the following Rule 5A shall be inserted, namely:

Rule 5A. Selection Committee:

For the purpose of recruitment to the service under Rule 7, there shall be a Selection Committee consisting of the following:

- (i) *Chief Justice or a Judge of the High Court deputed by him; and*
- (ii) *Two senior – most Judges of the High Court nominated by the Chief Justice.*

In absence of the Chief Justice, the senior – most Judge will be the Chairperson of the Selection Committee.

3. Substitution of Rule 7 in the Delhi**Higher Judicial Service Rules, 1970**

:

In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 7, the following Rule 7 shall be substituted, namely:

Rule 7. Regular Recruitment: (1) *Recruitment to the posts in the cadre of District Judge at Entry Level shall be as under:*

- (a) *50 percent by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division), having a minimum ten years service in the cadre of Delhi Judicial Service, on the principle of merit – cum – seniority and suitability;*
- (b) *25 percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) who have three years qualifying service as Civil Judge (Senior Division) and the minimum service required to be eligible for limited competitive examination would be seven years including service rendered as Civil Judge (Junior Division) and Civil Judge (Senior Division);*
- (c) *25 percent of the posts shall be filled by direct recruitment from amongst the persons eligible as per rule 7C on the basis of the written and viva voce test, conducted by the High Court.*

Explanation – *The vacancies for the limited competitive examination quota shall be calculated on the basis of cadre strength.*

- (2) *The posts will go to the above three categories, within the quota prescribed under this rule, in the order as given in the roster appended to these rules.*

After the recruitment of officers appointed under clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7 and officers promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 is complete for a particular year, the positions falling in their quota that remain unfilled due to lack of suitable candidates shall be filled through officers recruited by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7, subject to such officers being placed only on subsequent promotion positions in the annual roster; and the vacancies in the subsequent year shall be computed to as to apply the proportion of 50:25:25 to the entire cadre.

4. Substitution of Rule 7A in Delhi Higher**Judicial Service Rules, 1970**

:

In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 7A, the following Rule 7A shall be substituted, namely:

Rule 7A. Selection for Promotion on the basis of merit – cum – seniority and suitability:

(1) *Recruitment by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7 above shall be made by selection on the basis of merit – cum – seniority and suitability. For assessing the suitability for being promoted, the High Court shall examine the following:*

- (a) *Updated knowledge of law based on an analysis of the judgments of the cases decided by the Judicial Officer during the preceding three years (35 marks)*
- (b) *Annual Confidential Reports of the preceding five years (25 marks)*
- (c) *Disposal rate in the preceding five years (10 marks)*
- (d) *Viva Voce which will test the updated knowledge of law and also consider general perceptions and awareness as also communication skills (30 marks)*

(2) *For the assessment of the Annual Confidential Reports, the Reports of the officers of the preceding five years, carrying weight age of 5 marks for each year will be taken into account. The criteria for awarding of marks for each ACR shall be as under:*

Grading	Marks
A+	5
A	4
B+	3
B	2

Provided that any officer having grading 'C' and Integrity doubtful in any year not be eligible to be considered for promotion.

(3) *The zone of consideration of Judicial Officers shall be as per the OM No. 220011/2/2002-Estt. (D) dated January 6, 2006 of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training, which is as under:*

No. of Vacancies	Zone of Consideration
1	5
2	8
3	10
4	12
5 and above	Twice the number of vacancies + 4

To come within the zone of consideration, the Judicial Officers must have B+ grading for the year previous to one in which recruitment by promotion is done and at least two B+ grading during the preceding four years.

(4) A candidate of general category must secure a minimum of 50% marks and candidate of reserved categories must secure a minimum of 45% marks out of the total marks to be eligible for being recommended for appointment to the service.

5. Substitution of Rule 8 in the Delhi Higher

Judicial Service Rules, 1970

:

In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 8, the following Rule 8 shall be substituted, namely:

Rule 8. Seniority:

(1) The inter se seniority of members of the Delhi Judicial Service promoted under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7 shall be the same as in the Delhi Judicial Service.

(2) The inter se seniority of the members of Delhi Judicial Service promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 shall be on the basis of their merit in the limited competitive examination.

(3) The inter se seniority of the direct recruits to the Service under clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7 shall be the same as determined by the High Court at the time of recruitment.

(4) The inter se seniority of the officers appointed to the Service under Rule 7 shall be determined through an annual 4 – point roster, filled by all officers appointed in the particular year in the repeating sequence of 2 officer(s) recruited by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7, one officer promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 and one officer appointed under clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7.

(5) Only if the recruitment process is completed within the year after which it was initiated and no other appointments, from any of the three sources, have already taken place in respect of the recruitment initiated for that subsequent year, shall the officers belatedly so appointed be entitled to seniority as per the roster of the year in which recruitment was initiated.

(6) If the recruitment process is not initiated for vacancies arising in a given year in the same year, the candidate filling such vacancy, in subsequent recruitment, shall be granted seniority within the annual roster of the year in which the recruitment process is finally concluded and appointment is made.

(7) After the recruitment of officers appointed under clause (c) of sub – rule (1) of Rule 7 and officers promoted under clause (b) of sub – rule (1) of Rule 7 is complete for a particular year, the positions falling in their quota that remain unfilled due to lack of suitable candidates shall be filled through officers recruited by promotion under clause (a) of sub – rule (1) of Rule 7, subject to such officers being placed only on subsequent promotion positions in the annual roster; and the vacancies in the subsequent year shall be computed so as to apply the proportion of 50:25:25 to the entire cadre.

6. Substitution of Rule 9 in the Delhi Higher

Judicial Service Rules, 1970

:

In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Rule 9, the following Rule 9 shall be substituted, namely:

Rule 9. The qualifications for direct recruits shall be as follows:

- (1) must be a citizen of India.
- (2) In case of an Advocate, must have been continuously practicing for not less than seven years as on the last date of the application.
- (3) In case of Judicial Officers
 - (i) must have already completed seven years in Bar before he/she was recruited in the subordinate judicial service, or;
 - (ii) must have seven years combined experience as a Judicial Officer and an Advocate as on the last date of the application.
- (4) In case of a person who has been or who is in judicial service, must have a combined experience of seven years or more as an advocate or a Judicial Officer as on the last date of the application.
- (5) Must have attained the age of 35 years and have not attained the age of 45 years on the last date of application.

7. Substitution of Roster Appended to

Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 :

In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Roster (under Rule 7(2)), the following Roster shall be substituted, namely:

ROSTER

(see Rule 7(2) and Rule 8(4))

ROSTER INDICATING THE ORDER OF POSTS GOING TO THE SHARE OF THREE CATEGORIES WITHIN THE QUOTA PRESCRIBED:

Order of Posts	Category	Rule
1	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
2	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
3	Officer promoted through limited competitive examination	7(1)(b)
4	Direct Recruit	7(1)(c)
5	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
6	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)

7	Officer promoted through limited competitive examination	7(1)(b)
8	Direct Recruit	7(1)(c)
9	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
10	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
11	Officer promoted through limited competitive examination	7(1)(b)
12	Direct Recruit	7(1)(c)
13	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
14	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
15	Officer promoted through limited competitive examination	7(1)(b)
16	Direct Recruit	7(1)(c)
17	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
18	Officer promoted on the basis of merit – cum – seniority & suitability	7(1)(a)
19	Officer promoted through limited competitive examination	7(1)(b)
20	Direct Recruit	7(1)(c)
	and so on for every 20 posts	

8. Amendment to Schedule Appended to

Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970 :

In the Delhi Higher Judicial

Service Rules, 1970, in place of existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:

SCHEDULE

(See Rule 4)

1	Principal District and Sessions Judges	11
2	Principal District & Sessions Judge – cum – Special Judge (PC Act) (CBI)	01
3	Principal Judges, Family Courts	11
4	District Judges (Commercial Courts) in Super Time Scale	64
5	Additional Principal Judge, Family Court	01
6	Judges, Family Court	19
7	Fast Track Courts	18
8	Special Courts for Rape and POCSO Cases	22
9	District and Additional Sessions Judges (including Special Courts/Industrial Tribunal/MACTs/Labour Courts)	284
10	Special Judges, NDPS	03
11	Deputation and Leave Reserve	34
	Total	468
	Time Scale Posts	127
	Selection Grade Posts:	
	@35% of the Cadre Strength - 164*	
	Additional Principal Judge, Family Court - 01	184

Judges, Family Court	- 19	
Super Time Scale Posts:		
Principal District and Sessions Judges	- 11	
Principal District & Sessions Judge – cum –		
Special Judge (PC Act)(CBI)	- 01	
Principal Judges Family Courts	- 11	157
District Judges (Commercial Courts)	- 64	
@15% of the Cadre Strength	- 70*	

* The increase of Selection grade posts from 25% to 35% and Super time scale posts from 10% to 15% will be effective from 01.01.2020.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
REETESH SINGH, Principal Secy.